आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
2	3

न्यायालय अर्न्तगत अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल

बन्दोबस्ती वाद सं०– 07/2018–19

सुलेखा देवी

बनाम

16 आना रैयत, मौजा– बाकुड़ी बाजार

आदेश

प्रस्तुत बन्दोबस्ती वाद सं० 07/2018–19 अंचल अधिकारी, तालझारी के पत्रांक 637/रा0, दिनांक 17.12.2018 के द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर दिनांक 20.12.2018 को वाद की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए मौजा बाकुड़ी बाजार के 16 आना रैयतों को विधिवत नोटिस निर्गत कर आपत्ति आमंत्रित की गयी।

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	ज0नं0	दाग नं0	रकबा
बाकुड़ी बाजार	66	23/114	02 कट्ठा 08 धूर

नोटिस तामिला प्राप्त। मौजा बाकुड़ी बाजार के 16 आना रैयतों द्वारा निर्धारित तिथि तक किसी भी प्राकार के आपत्ति दर्ज नही की गयी है।

आवेदिका को सुना। आवेदिका द्वारा उक्त वर्णित भूमि पर अपने नाम से बन्दोबस्ती एवं लगान निर्धारण करने का अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, तालझारी ने अपने पत्रांक 637/रा0, दिनांक 17.12.2018 के द्वारा प्रतिवेदित किये हैं कि मौजा बाकुड़ी बाजार के जमाबंदी नं0 66, दाग नं0 23/114 रकबा 02 कट्ठा 08 धूर जमीन सर्वे खतियान मे गैर मजरूवा खास किस्म भूमि परती कदीम कहकर दर्ज है। स्थानीय जाँच के क्रम में पाया कि आवेदिका उक्त भूमि के अंश रकवा पर मकान बना कर निवास कर रही है। ग्रामीणों एवं सोलह आना रैयतों से पुछ–ताछ करने पर बताया गया कि आवेदिका सुलेखा देवी, पति– राजकुमार यादव भूमिहीन हैं। लगान एवं शेष आदि 1954–55 से देय होगा।

अतएव अंचल अधिकारी, तालझारी के अनुशंसा के आलोक में राजस्व की वृद्धि को ध्यान में रखकर तथा मौजा के 16 आना रैयतों से आपत्ति के अभाव में आवेदिका सुलेखा देवी, पति– राजकुमार यादव, सा0– बाकुड़ी, पो0– तीनपहाड़, थाना– तालझारी, जिला– साहेबगंज के नाम से बंदोबस्ती की स्वीकृति दी जाती है तथा आवेदित भूमि का लगान 100/– (एक सौ) रू0 प्रति एकड़ की दर से रकवा 02 कट्ठा 08 धूर भूमि का लगान 04/– रू0 अलावे शेष निर्धारित किया जाता है, जो वर्ष 1954–55 से देय होगा। उक्त भूमि अहस्तान्तरणीय होगी।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, तालझारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

अनुमंडल पदाधिकारी
राजमहल।

ज्ञापांक 2091/रा0
दिनांक 01.7.19

Scanned with CamScanner